

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports



भ्रमण पास हेतु आवेदन प्रपत्र

(आवेदक द्वारा जानकारी पूर्ण रूप से भरी जावे)

आवेदक
का
पासपोर्ट
साइज
फोटो 1+1

1	जिसके लिये आवेदन किया है	प्रातः/ भ्रमण/सांयकाल भ्रमण
2	पूरा नाम	
3	पिता/पति का नाम	
4	व्यवसाय	
5	पद (यदि कोई हो)	
6	कार्यालय का पता (यदि हो)	
7	निवास स्थान का पता (फोटो एवं पते के सत्यापन हेतु स्वप्रमाणित दस्तावेज - आधारकार्ड/राशनकार्ड/वाटरकार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/ पासपोर्ट में से कोई एक)	
8	फोन नं.	कार्यालय/ निवास..... मोबाईल.....
9	वाहन का प्रकार एवं पंजीयन क्र.	
10	अन्य जानकारी (यदि कोई हो)	

घोषणा

1. मैं यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी मेरी जानकारी में पूर्णतया सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
2. मैं यह घोषित करता हूँ कि:-
 - अ) संस्थान के सभी नियमों का पूर्ण पालन करूंगा।
 - ब) संस्थान के खेल मैदानों, छात्रावासों और आवासीय क्षेत्र की ओर नहीं टहलूंगा/जाऊंगा।
 - स) बाग-बगीचे में नहीं टहलूंगा/जाऊंगा।
 - द) फूल-पत्तियां नहीं तोड़ूंगा।
 - इ) मैं अपना वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करूंगा।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुशंसा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की घोषणा

1. मैं उक्त आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा इस आवेदन को स्वीकृति हेतु अनुशंसित करता हूँ।
2. मैं आवेदन के चरित्र से संतुष्ट होकर आश्वास्त हूँ कि वे-
 - अ. संस्थान के सभी नियमों का पूर्ण पालन करेंगे।
 - ब. संस्थान के खेल मैदानों, छात्रावासों और आवासीय क्षेत्र की ओर नहीं टहलेंगे/जाएंगे।
 - स. बाग-बगीचे में नहीं टहलेंगे/जायेंगे।
 - द. फूल-पत्तियां नहीं तोड़ेंगे।
 - इ. मैं अपना वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करेंगे।

दिनांक:

अनुशंसक के हस्ताक्षर

नाम:

पद:

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गई संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports



(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

स्वीकृत/अस्वीकृत

कुलसचिव

पास क्रमांक.....

जमा शुल्क विवरण :-

रसीद/ट्रांसफर आईडी राशि रुपये 500/-

दिनांक

पास क्रमांक.....

सुरक्षा निरीक्षक/डीडीओ

हस्ताक्षरित

उपकुलसचिव (संपदा)

रुपये	दिनांक	रसीद क्र./ ट्रांसफर आईडी	वैधता	आवेदक हस्ताक्षर	हस्ताक्षर डी.डी.ओ.	सुरक्षा निरीक्षक

नोट:- शुल्क का भुगतान संस्थान के खाते में ऑनलाईन भी किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

Account Holder Name - LNIPE Account
Bank - SBI
IFSC Code - SBIN002875
Account No. - 10025857768